

समस्त संयुक्त निदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान।

**विषय :-** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों में माननीय संसद सदस्य, माननीय विधानसभा सदस्य एवं अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को यथोचित सम्मान दिये जाने के संबंध में।

**सन्दर्भ :-** निजी सचिव, मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर का अ0शा0 पत्रांक 131-132 दिनांक 04.01.10 के सन्दर्भ में।

प्रायः यह देखा गया है कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की कई बार उपेक्षा कर दी जाती है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों में माननीय संसद सदस्य, माननीय विधानसभा सदस्य एवं अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को यथोचित सम्मान देने के लिए आप उन्हें समय से पूर्व ही आमंत्रित करना अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके अ0शा0 पत्रांक 131-132 दिनांक 04.01.10 के सन्दर्भ में।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके कार्यालय की डायरी क्रमांक 121/वीआईपी दिनांक 15.01.10 के सन्दर्भ में।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।